**संख्या-26/2018/3156/22-2-2017-17(156)/2011**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कमलापति निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43076/प्रोबेशन-3 (एम-04.12.2017) दिनांक 04.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कमलापति, जो पहरा, थाना-जरिया, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.02.1980 को समय लगभग 11:00 बजे पूर्वान्ह् में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, फरसा तथा बन्दूकों से मारकर मन्टा ऊर्फ महेश्वरी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-88/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 26.02.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2003 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.02.2017 तक 15 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 09 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.02.1980 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, फरसा तथा बन्दूक से मारकर मन्टा ऊर्फ महेश्वरी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं में की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कमलापति को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-13678/2017 बाबूराम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से आच्छादित है। अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इन्द्रजीत (बन्दी संख्या-1652/2003) पुत्र श्री कमलापति निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोपरि।**

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2018/3156(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश सख्या-26/2018/3156/22-2-2017-17(156)/2011**

**दिनांक 09 जनवरी, 2018 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कमलापति, जो पहरा, थाना-जरिया, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.02.1980 को समय लगभग 11:00 बजे पूर्वान्ह् में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, फरसा तथा बन्दूकों से मारकर मन्टा ऊर्फ महेश्वरी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-88/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 26.02.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2003 द्वारा बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.02.2017 तक 15 वर्ष 01 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 09 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.02.1980 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, फरसा तथा बन्दूक से मारकर मन्टा ऊर्फ महेश्वरी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं में की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इन्द्रजीत पुत्र श्री कमलापति को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in